न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/14	22–08–2020	10–11–2020

1. बाला देवी पत्नी स्व0 महादेस
2. रामानन्द पुत्र स्व0 महादेव
3. तेजपाल पुत्र स्व0 महादेव
4. राजपाल पुत्र स्व0 महादेव
5. संगीता पुत्री स्व0 महादेव जातियान अहीर निवासीयान ग्राम रोडवाल तहसील नीमराना जिला अलवर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुबेसिंह पुत्र दुर्गा प्रसाद अहीर निवासी रोडवाल तहसील नीमराना जिला अलवर।
2. तहसीलदार नीमराना, तहसील नीमराना जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार नीमराना के दिनांक 27–01–2020 बाबत इन्तकाल सं0 1093 वाके ग्राम रोडवाल जिला अलवर।

उपस्थितः–

01. श्री संजीव जैन –वकील अपीलान्ट
02. श्री जगदीश प्रसाद यादव –वकील रेस्पो0

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार नीमराना के आदेश दिनांक 27.01.20 जिसके जिसके द्वारा इन्तकाल सं0 10 वाके ग्राम रोडवाल तहसील नीमराना जिला अलवर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर अलवर (राज.)

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस/लिखित बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि :–

तहत न्यायालय के आदेश की सर्वप्रथम जानकारी 16–06–2020 को हुई जिस पर आवश्यक दस्तावेजात की नकल लेकर दिनांक 27–01–2020 से 15–06–2020 तक का समय व्यतीत हुआ है जो माफ किये जाने योग्य है। अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है। अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जाकर स्वीकार फरमाई जावे।

जयकिशन, गोपाल नत्थूराम उर्फ नाथाराम व हरचन्द पुत्रान देवकरण जातियान अहीर थे। जयकिशन की विधिक वारिसान दो पुत्रीयॉ गूँगी व रजवण थी जिना विवाह पूर्व में हो चुका तथा पुत्र नही था। जयकिशन ने अपने भतीजे श्रीराम पुत्र नत्थूराम को गोद ले लिया। गोपाल के दो पुत्र प्रताप तथा अमरसिंह तथा नत्थूरा के महादेव

भोलाराम, श्रीराम पुत्रान थे, भोलाराम अविवाहित फोत हो गया। तीसरा भाई श्रीराम अपने नाना जयकिशन के गोद चला गया। महादेव के विधिक व जायज वारिसान अपीलान्ट है। हरचन्द के रामजीलाल, दुर्गाप्रसाद, मनोहर, पुत्र है, रामजीलाल अविवाहित फौत हुआ। दुर्गाप्रसाद के वारिसान सुबेंसिंह, राजेन्द्र, अशोक, विजेन्द्र पुत्रान व पत्नि शीशो देवी है। श्रीराम से के कोई जायज पुत्र नहीं था। रैस्पा0 द्वारा एक गोदनामा दिनांक 21.11.1977 को तहरीर कराकर दिनांक 28.11.77 को उप पंजीयक बहरोड में तस्दीक कराया जबकि श्रीराम के जीवनकाल में सुबेसिंह द्वारा कभी भी देखभाल नहीं की । तथाकथित फर्जी गोदनामा की जानकारी होने पर श्रीराम द्वारा अपने जीवनकराल में एक दीवानी वाद संख्या 24/90 अनुवानी श्रीराम बनाम सुबेसिंह न्यायालय मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बहरोड की अदालत में प्रस्तुत किया जो वादी दिनांक 16.8.90 को डिक्री करते हुए गोदनामा निरस्त कर दिया गया। गोदनामा दीवानी अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच में दायर की गयी। जिसमें अपील के निस्तारण तक स्थगन आदेश पारित कर दिया गया, और वर्तमान में अपील विचाराधीन है। सन् 1990 में दीवानी न्यायालय से गोदनामा निरस्ती वाद से लगभग 2 वर्ष पूर्व श्रीराम द्वारा अपने भाई महादेव के पक्ष में अपनी समस्त विधिक जायदाद वसीयतनामा दिनांक 8.12.1988 में तहरीर कर उप पंजीयक बहरोड में पंजीबद्व करा दिया गया। श्रीराम की समस्त जायदाद उसके भाई महादेव को विरासत से प्राप्त हुई। महादेव की मृत्यु के बाद श्रीराम की जायदाद में अपीलान्ट के हित निहित हो चुकें। रैस्पा0 को समस्त जानकारी होने बावजूद भी तहत अदालत में दिनांक 28.11.1977 के गोदनामा के आधार पर विवादित इंतकाल दर्ज व स्वीकार करा लिया, तहत अदालत ने अपीलान्ट को नोटिस जारी किये बिना ही तथा सुने बिना प्राकृतिक न्याय के सिन्द्वातों की अवहेलना करते हुए अपीलीय आदेश पारित कर दियें। जबकि तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी को विचाराधीन द्वितीय अपील की विस्तृत जानकारी थी। तहत अदालत द्वारा जानबूझकर रैस्पा0 को सदोष लाभ पहुँचाने व अपीलान्ट को सदोष हानि पहुँचाने की दुर्भावनापूर्ण मंशा से अपने पदीय कर्तत्यों की अवहेलना करते हुए दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत विधि सम्मत तरीके से नोटिस जारी किये व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की अवेहलना कर इंतकाल तस्दीक कर दिया गया। इंतकाल में वर्णित आराजीयत का समक्ष न्यायालयों में दीवानी व राजस्व वाद विचाराधीन है, का अन्तिम रूप से निस्तारण नही हो जाता तब तक इंतकाल की कार्यवाही फिसकल प्रोसिडिंग होने के कारण स्थगित रखनी चाहिऐं, किन्तु तहत अदालत द्वारा ऐसा नहीं किया। रैस्पा0 का प्राकृतिक पिता दुर्गाप्रसाद है तथा फर्जी नुमाईशी गोदनामा 1977 तहरीर होने 45 साल पश्चात श्री रैस्पा0 समस्त निजी व सरकारी दस्तावेजात में रैस्पा0 की वल्दियत दुर्गाप्रसाद दर्ज है। समस्त कार्यवाही एकतरफा में बगैर सुनवाई का समुचित अवसर दिए ही की गई है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है। अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावें।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

अपीलान्ट के अधिवक्ता की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया :-

आर0आर0टी0 2009 (2) पेंज 816, आर0आर0डी0 1998 पेंज 319 आर0बी0जे0 2006 पेंज 366, आर0आर0टी0 2008 पेंज 228,एवं न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 27.4.06 की प्रति पेश की गई।

विद्वान वकील रैस्पा0 ने अपनी बहस/लिखित बहस में अपील में वर्णित तथ्यो मे निवेदन किया गया कि श्रीराम के कोई जायज पुत्र नही होने का फायदा उठाते हुए रैस्पा0 द्वारा धोखा देकर गोदनामा तहरीर कराकर तस्दीक कराया लिया, गोदनमा किसी धोखा देकर नहीं कराया है बल्कि विधि अनुसार उप पंजीयक कार्यालय में तहरीर व तस्दीक कराया गया है। अपीलान्ट ने दीवानी वाद श्रीराम बनाम सुबेसिह न्यायालय मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बहरोड रैस्पा0 की इकतरफा में निर्णित कर डिक्री किया गया था। रैस्पा0 को जानकारी होने पर प्रा0पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 को पेश किया जो स्वीकार होकर वाद खारिज कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा ए0डी0जे0 बहरोड में अपील पेश की जो अपील भी खारिज हो चुकी है, जिस आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा दीवानी द्वितीय अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय , जयपुर मे प्रस्तुत की जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7.8.19 को आदेश पारित किया कि 'इस अपील में पारित स्थगन आदेश दिनांक 9.7.2012 द्वारा केवल मात्र वसीयत के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षो की समा तक ही स्टे अपील के अंतिम निर्णय तक दिया गया था, प्रश्नगत गोदनामा के आधार पर प्रत्यार्थी को जो भी अधिकार है उनमें उसे वंचित किया जा सकता है व इस हेतु प्रत्यर्थी डिक्री का निष्पादन कराने का अधिकारी है। अतः निष्पादन न्यायालय को उनके समक्ष लंबित निष्पादन की कार्यवाही का निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र करने हेतु निर्देशित किया जावें।' इस प्रकार विवादित गोदनामा तहरीर दिनांक 21.11.77 एवं 28.11.77 की बाबत कोई अपील विचाराधीन नहीं है और ना ही इस संबंध में किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी है। अपीलान्ट द्वारा दिनाक 7.8.19 के तथ्य को जानबूझकर छुपाया गया है। उक्त आदेश की अनुपालना में ही तहत अदालत द्वारा दिनांक 27.1.20 को अपीलीय आदेश पारित किया गया, जिसकी पालना में अपीलीय इंतकाल 1093 तस्दीक किया गया है। रैस्पा0 का कब्जा आज भी मौके पर श्रीमरा के जीवनकाल से बतौर वारिस दत्तक पुत्र चला आ रहा है। आराजी पर नल बिजली कनैक्शन स्थापित है। इंतकाल में वर्णित आराजी पर अपीलान्ट का कोई भौतिक कब्जा नहीं है। अपीलान्ट को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश से लेकर इंतकाल तस्दीक करते समय तक की समस्त कार्यवाही की पूरी जानकारी थी यदि कोई एकतराजात होता तो स्वयं उपस्थित होकर अपने एतराजात प्रस्तुत कर सकता था। तहत अदालत द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 7.8.19 की पालना में जारी किया गया। तहत अदालत द्वारा न्याय के सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए एवं रैस्पा0 से साजबाज होकर इंतकाल तस्दीक नहीं

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)

किया है। अपीलान्ट द्वारा अपील जावूझकर नियाद वाहा प्रस्तुत की है। तहत अदालत ने अपीलीय आदेश दिनांक 27.1.20 को पारित किया जिस समय महामारी कोविड–19 के कारण लॉकडाउन नहीं था। कानूनन जानकारी से एक–एक दिन की देरी का कारण बताया जाना आवश्यक होता है उस कारण से संतुष्ठ होने पर ही न्यायालय देरी को क्षमा कर सकते है केवल दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र लगाने से देरी को क्षमा नहीं हो सकती है। माननीय उच्च न्यायालय/राजस्व मंडल ने डिले को कन्डोन करने के लिए कानूनी विनिश्चयों में यह हैल्ड किया गया है कि देरी का संतोषप्रद कारण होने पर ही न्यायालय द्वारा देरी को कन्डोन किया जाना चाहिए।

रेस्पाडेण्ट्स कें अधिवक्ता की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया :–

आ0आर0सी0 1998 पेंज 654 का पेंश किया।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया एवं कानून की मंशा देखी गई। दौराने बहस अपीलान्ट वकील द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता का पेश किया गया, प्रार्थना पत्र की नकल रैस्पा0 वकील को उपलब्ध कराई गई प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 27–01–2020 के विरूद्ध दिनांक 06.07.20 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 6 माह विलम्ब से पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा–5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर ने आदेश दिनांक 07.08.2019 से यह निर्देशित किया है कि विवादित इंतकाल प्रश्नगत गोदनामे के आधार पर प्रत्यर्थी राजस्व अभिलेख में आवश्यक परिवर्तन कराने हेतु उचित विधिक कार्यवाही जो भी उसे उलब्ध है वह कर सकेगा। परन्तु यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्यर्थी प्रश्नगत गोदनामे से जो भी विधिक अधिकार उसे उपलब्ध है उनके संबंध में विधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा। उक्त आदेश की पालना में तहत अदसलत द्वारा गोदनामें के आधार पर कार्यवाही करना अपने आप में गलत नहीं था परन्तु दौराने विधिक कार्यवाही सभी पक्षों को सुनकर उसके उपरान्त इंतकाल की कार्यवाही की जानी चाहिऐं थी–प्रकरण के अवलोकन से कन्ही यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया हों, जो न्यायहित में अनिवार्य है। अतः अपील अपीलान्ट तहत अदालत को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि तहसीलदार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर के निर्देश दिनांक 7.8.2019 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए दोनों पक्षों को सुनकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट रिमान्ड की जाती है। तहसीलदार बहरोड द्वारा आदेश की कार्यवाही यथासम्भंव एक माह में गुणावगुण के आधार

पर की जावें। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत अदालत को वापस भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10–11–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर, अलवर